दिनांक 10.01.2015 को अपराह्न 03.00 बजे से सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में सभी उप विकास आयुक्त की विशेष रूप से आयोजित विभागीय कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– संलग्न सूची के अनुसार।

कार्यवाही :–

(i) **मनरेगा योजना :–**

1. बैठक में उप विकास आयुक्तों द्वारा बताया गया कि अभी भी मनरेगा भवन सभी ग्राम पंचायत में समय के अन्दर निर्माण नहीं होने के कारण कार्यालय सुचारू रूप से नहीं चल रहा है तथा किसी–किसी जगह में मुखिया के घर में मनरेगा का कार्यालय संचालित किया जा रहा है। यह भी बताया कि कहीं–कहीं ग्राम पंचायत में जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में उस ग्राम पंचायत के बगल में यदि जमीन उपलब्ध हो तो उस जगह में राजीव गॉधी सेवा केन्द्र का निर्माण कराया जाए तो मनरेगा कार्यालय सुचारू रूप से चल सकता है। यह भी सुझाव दिया गया कि पी0ई0बी0 कॉन्सेप्ट में मनरेगा भवन का निर्माण कराया जाए तो तीन–से–चार महीने के अन्दर मनरेगा कार्यालय को स्थापित किया जा सकता है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, विशेष परिस्थिति में, निर्णय लिया गया कि समय के अन्दर राजीव गॉधी सेवा केन्द्र का निर्माण जिला परिषद् के स्तर से या जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त अपने स्व–विवेक से किसी एजेंसी से इस कार्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। जहॉ–जहॉ जमीन ग्राम पंचायत के मुख्यालय में उपलब्ध नहीं हो पाये तो कोई भी भू–दाता यदि इसके लिए जमीन देना चाहे तो नियमानुसार लेकर उस जमीन पर इस भवन का निर्माण कराया जाए अथवा ग्राम पंचायत के बगल में जो सभी गॉवों का केन्द्र बिन्दु हो वैसे स्थल पर यदि जमीन उपलब्ध हो तो वैसे जगह पर भवन का निर्माण कराया जाए।

2. उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि कार्यक्रम पदाधिकारी को मेकर एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को चेकर बनाने के कारण कार्य काफी धीमि गति से चल रही है। चूंकि मनरेगा के सभी कार्यों का अनुश्रवण, निगरानी, स्वीकृति आदि का कार्य कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा दिया जाता है और उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी को यदि चेकर बनाया जाए तो प्रखंड विकास पदाधिकारी पुनः इन सारे बिन्दुओं की जॉचकर हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रकिया के कारण कार्यों को त्वरित गति से निष्पादित करने में बहुत विलम्ब होता है। इसके स्थान पर कार्यक्रम पदाधिकारी को चेकर एवं लेखापाल को मेकर बनाया जाए तथा जहॉ–जहॉ कार्यक्रम पदाधिकारी का पद रिक्त हो वैसे जगहों पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को चेकर बनाया जाए। इस प्रकिया से कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होगी और समय के अन्दर कार्य को पूर्ण कराया जा सकता है। तदालोक में, उप विकास आयुक्तो के सुझावों को दृष्टिपथ रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि लेखापाल को मेकर एवं कार्यक्रम पदाधिकारी को चेकर बनाया जाए और जहॉ–जहॉ कार्यक्रम पदाधिकारी का पद रिक्त हो वैसे जगहों पर प्रखंड विकास पदाधिकारी चेकर के रूप में कार्य करते रहेंगे।

3. टाईम एण्ड मोसन स्टडी करने के लिए बी0आई0टी0 मेसरा को चयन किया गया है। सभी उप विकास आयुक्त इस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान कर इस कार्य को कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. सामाजिक वानिकी योजना के कियान्वयन के लिए Facilitator का चयन सभी जिलों के लिए की गयी है तथा योजना के संबंध में एस0ओ0पी0 तैयार किया गया है। तदनुसार इस योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने का निदेश सचिव महोदय द्वारा दिया गया।

5. मनरेगा योजना के अन्तर्गत लेबर बजट 31 जनवरी, 2015 तक अपलोड करना है।

6. सभी पोस्ट ऑफिस के नरेगा एकाउन्ट को प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अन्तर्गत दिनांक 30.01.2015 तक बैंक खाता खोलकर EFMS योजना के अन्तर्गत लाया जाए।

7. EFMS योजना के अन्तर्गत सभी चेकर एवं मेकर का डिजिटल हस्ताक्षर मिशन मोड में दिनांक 30.01.2015 तक पूर्ण कराया जाए।

8. सभी तरह के सामग्री आपूर्त्ति का खाता भी फीज किया जाए। इसमें कोई भी एजेंसी से नियमानुसार किसी भी सामग्री का कय किया जा सकता है। यह सामग्री किसी भी प्रखंड में या ग्राम पंचायत में ही जिस आपूर्त्तिकर्त्ता का एकाउन्ट फीज किया गया है उन्हीं आपूर्त्तिकर्त्ता से सामग्री लेना अनिवार्य नहीं होगा।

9. मनरेगा योजना में उपयोग में लाये जाने वाले सामग्रियों के इच्छुक बिक्रेताओं की सूची एवं दर ग्राम पंचायतवार एवं प्रखंडवार सम्बद्ध कर सभी उप विकास आयुक्त 10 फरवरी, 2015 तक निश्चित रूप से प्रकाशित कर देंगे। मनरेगा योजनान्तर्गत किसी भी योजना के लिए सामग्रियों को सूची में अंकित किसी भी बिक्रेता से प्राप्त किया जा सकेगा।

(ii) इंदिरा आवास योजना :–

1. इंदिरा आवास योजना की समीक्षा की गयी। इंदिरा आवास जीर्णोद्धार हेतु जिन–जिन जिलों को राशि प्राप्त हो गयी है वैसे जिलों को दो–तीन माह के अन्दर कार्य को पूर्ण करने का निदेश दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत यदि कोई लाभुक पक्का छत ढालना चाहती है तो ढाल सकती है और यदि कोई लाभुक अल्युमिनीयम सीट्स का उपयोग छत निर्माण में करना चाहे तो करने के लिए स्वतंत्र है।

2. कुछ जिलों के उप विकास आयुक्त द्वारा कहा गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार नहीं रहने के कारण उस लक्ष्य को अन्य जिलों को स्थानान्तरण किया गया है लेकिन राशि नहीं दी गयी है। ऐसी स्थिति में उस जिला के पास इंदिरा आवास योजना के मद में आवंटित राशि तथा उसका सूद की राशि इस विभाग को पत्र में आवंटित राशि एवं सूद की राशि का उल्लेखित करते हुए राशि को डी0डी0 के रूप में या आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से स्थानान्तरित किया जाए, ताकि जिस जिला को लक्ष्य दिया गया है उस जिला को राशि आवंटित किया जा सके। इसका अनुपालन एक सप्ताह के अन्दर निश्चित रूप से किया जाए।

3. हमारा गॉव हमारी योजना के अन्तर्गत तैयार की गयी प्रोस्पेक्टिव प्लान को दिनांक 31 जनवरी, 2015 तक अपलोड करने का निदेश सभी उप विकास आयुक्त को दिया गया।

(एस0 एम0 राजू) 19/1/15
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 217090 ग्रा0 वि0 अनु0 गो0 83/2014 /पटना, दिनांक 20 जनवरी, 2015

प्रतिलिपि, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक/विशेष सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव 19/1/15